FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हनुमानसिंह बनाम हनुमान वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बरः–109 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
18.09.2018	प्रार्थी वकील श्री चैतन्य कुमार मीणा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किए जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की प्रकृत्ति एंव आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तक विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 730 से 734 कुल किता 5 कुल रकबा 4.09 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रचलित रास्ता के आदेश एंव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किये जाने वाले प्रार्थीगण के 1/50 हिस्से तक के निर्माण कार्य पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। वकील प्रार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.10.2018 को पेश हो। [signature]	
8.1.19.	पत्रावली रिकार्ड तारीख पेशी पर आज पेश हुई। वादी हनुमानसिंह उपस्थित.	[illegible]

Scanned by CamScanner

10/9/2018 · हनुमान व हनुमान 2 ... [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
हनुमान सिंह	उ.मा. प्रार्थी पक्ष के आगे मार्फत [illegible] 75/चार्ट बाबत निर्णय दि. 1/अतः पत्रावली नहीं विद्वान [illegible] पत्रावली फैसलशुदा होकर [illegible] में जमा की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) [illegible] (सीकर) मा. (FT) नीमकाथाना